संख्या-414/2023/1536/22-2-2023-17(403)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 जून, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शहादत खान पुत्र नवाब खान, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-14565/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.05.2023) दिनांक-04.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शहादत खान पुत्र नवाब खान, बखरिया, मजरा-परसेहरा थाना-मानपुर, जनपद-सीतापुर का निवासी है। घटना से पूर्व में वादिनी का लड़का रिजवान बिस्कुट लेने गया था जिसे उसके देवर शहादत ने अपनी जगह से निकलने को मना किया। वादिनी के पति द्वारा उल्हाना देने की रंजिश में बन्दी ने दिनांक 05.02.2001 को अपने सगे भाई सकरुल्ला खान की तखत की पट्टी से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-204/2003 भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-03 सीतापुर के आदेश दिनांक 30.07.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 04.06.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 10 दिन 17 तथा सपरिहार 22 वर्ष, 05 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा घटना से पूर्व में वादिनी का लड़का रिजवान बिस्कुट लेने गया था जिसे उसके देवर शहादत ने अपनी जगह से निकलने को मना किया। वादिनी के पति द्वारा उल्हाना देने की रंजिश में बन्दी ने दिनांक 05.02.2001 को अपने सगे भाई सकरुल्ला खान की तखत की पट्टी से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शहादत खान पुत्र नवाब खान, निवासी जनपद-सीतापुर को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शहादत खान (बन्दी संख्या-41048) पुत्र श्री नवाब खान, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-414/2023/1536(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को रिट याचिका सं0-336/2019 रसीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-414/2023/1536/22-2-2023-17(403)/2023

दिनांक 26 जून, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शहादत खान पुत्र नवाब खान, बखरिया, मजरा-परसेहरा थाना-मानपुर, जनपद-सीतापुर का निवासी है। घटना से पूर्व में वादिनी का लड़का रिजवान बिस्कुट लेने गया था जिसे उसके देवर शहादत ने अपनी जगह से निकलने को मना किया। वादिनी के पति द्वारा उल्हाना देने की रंजिश में बन्दी ने दिनांक 05.02.2001 को अपने सगे भाई सकरुल्ला खान की तखत की पट्टी से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-204/2003 भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-03 सीतापुर के आदेश दिनांक 30.07.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 04.06.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 10 दिन 17 तथा सपरिहार 22 वर्ष, 05 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा घटना से पूर्व में वादिनी का लड़का रिजवान बिस्कुट लेने गया था जिसे उसके देवर शहादत ने अपनी जगह से निकलने को मना किया। वादिनी के पति द्वारा उल्हाना देने की रंजिश में बन्दी ने दिनांक 05.02.2001 को अपने सगे भाई सकरुल्ला खान की तखत की पट्टी से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शहादत खान पुत्र नवाब खान, निवासी जनपद-सीतापुर को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।